मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
Email-mpsec@mp.gov.in

क्रमांक–एफ–70NN–20/2020/पांच/748 भोपाल, दिनांक–26/12/2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
गृह एवं जेल विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत नगरीय निकाय तथा पंचायत निर्वाचन को अगले तीन माह तक स्थगित रखने विषयक।

संदर्भः–आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक–245/2020/अमुस/गृह एवं जेल, भोपाल दिनांकः–17.12.2020.

———0———

संदर्भित पत्र में कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन का कार्य जन स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा जनहित में माह–फरवरी–2021 के उपरांत कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

भारत सरकार द्वारा कोविड–19 को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने एवं राज्य में कोविड–19 के संकमण के संबंध में आपके पत्र में उल्लेखित स्थिति के परीक्षण पश्चात् आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन जो माह दिसम्बर 2020–जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाना था, को नगर परिषद नरवर जिला–शिवपुरी को छोड़कर, 20 फरवरी 2021 के पश्चात आयोजित किये जाने का आदेश क्रमांक एफ–70एनएन–20/2020/पांच/745 दिनांक–26/12/2020 जारी किया गया हैं। इसी प्रकार त्रि–स्तरीय पंचायतों के प्रस्तावित आम निर्वाचन जो माह दिसम्बर 2020–फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाना था इन्हे माह फरवरी 2021 तक स्थगित किये जाने का आदेश क्रमांक एफ–70/पी.एन–10/2020/तीन/696 दिनांक–26/12/2020 को जारी किया गया है

नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व कराया जाना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के संबंध मे वैधानिक स्थिति निम्नानुसार हैः–

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243K एवं 243ZA के प्रावधान अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसका कार्य त्रि–स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के सभी तरह के

निरंतर.....02

Scanned with CamScanner

निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कराया जाये। राज्य के कुल 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल दिनांक–25.09.2020 को समाप्त हो गया है, साथ ही 08 नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी एवं फरवरी–2021 में पूर्ण हो रहा है। त्रि–स्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च–2020 में समाप्त हो चुका है। इन निकायों के साथ नवगठित 29 नगर परिषदों का निर्वाचन भी सम्पन्न कराया जाना है।

नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के कार्यकाल और निर्वाचन के संबंध में संविधान में निम्न प्रावधान हैः–

(i) अनुच्छेद–243E.–पचांयतों की अवधि–प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं।

(ii) अनुच्छेद–243U.–प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं।

उक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993 की धारा–42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का उल्लेख हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–14 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का उल्लेख है।

त्रि–स्तरीय पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993 की धारा–09 तथा नगरीय निकायों के कार्यकाल का उल्लेख मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–20 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–36 में दिया गया हैं। उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि प्रथम सम्मेलन की दिनांक से पांच वर्ष का कार्यकाल होगा इससे अधिक नहीं।

कोविड–19 के संक्रमण के दौरान निर्वाचन के आयोजन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। इसी अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु आयोग के पत्र क्रमांक–एफ–70NN–06/2020/पांच/484–485, भोपाल दिनांक–11/09/2020 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। निर्धारित समय पर निर्वाचन आयोजित नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर में आयोग के विरूद्ध याचिकाएं प्रस्तुत हो रही है।

निरंतर.....03

Scanned with CamScanner

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक–15826/2018 में दिनांक–25/04/2019 में पारित आदेश द्वारा नगर परिषद नरवर जिला–शिवपुरी का निर्वाचन समय पर न कराये जाने के कारण आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर राशि रूपये 50,000/– का दण्ड पृथक–पृथक अधिरोपित किया गया है। साथ ही पुर्नविलोकन याचिका क्रमांक–1190/2019 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के विरूद्ध अवमानना प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में नगरपालिक निगम इन्दौर के निर्वाचन शीघ्र कराये जाने के याचिका क्रमांक–4856/2020 प्रचलित हैं।

कोविड–19 के संक्रमण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का सामान्य निर्वाचन एवं देश में आकस्मिक रूप से रिक्त लोकसभा एवं विधानसभा के उप निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं। इसी प्रकार कई अन्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड–19 संक्रमण के दौरान राज्य में नगरीय निकायों एंव पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न करा रहे हैं जिसमें राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर एवं तेलंगाना प्रमुख है। हैदराबाद में भी हाल ही में नगरपालिक निगम के निर्वाचन सम्पन्न कराये गये हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी नगरीय निकायों के निर्वाचन माह दिसम्बर–2020 में कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन कराया जाना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्वाचन के पूर्व की कतिपय आवश्यक कार्यवाहियाँ समय पर पूर्ण न करने के कारण निर्वाचन कराये जाने में काफी विलम्ब हो चुका है।

नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन तत्काल कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों एवं त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए आज की स्थिति में पूरी तरह तैयार है। **निर्देशानुसार** कृपया राज्य में कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखे। जब भी आंकड़ों तथा अपनी तैयारी से राज्य शासन को यह महसूस हो कि स्थितियां सुधरी है तो राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल अवगत कराया जाये। आयोग तत्काल निर्वाचन कराने के लिए तैयार है।

(माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आदेशित)
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अरूण परमार) 26/12/2020
(उप सचिव)
म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल

Scanned with CamScanner

//04//

पृ.क्रमांक—एफ—70NN—20/2020/पांच/749 भोपाल, दिनांक—26/12/2020

प्रतिलिपिः—

1 मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

2. अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

3 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(उप सचिव) 26/12/2020

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल

भोपाल।

Deshgaon
देश के दिल की ख़बर

Scanned with CamScanner